न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/02/2021 रजि0 नं0 2021/5

प्रवेश तिथि 04.01.2021

अपीलार्थी

श्री रामस्वरूप मीना पुत्र श्री बहादुर मीना,
निवासी–ग्राम–खोह दरीबा, तहसील–राजगढ,
जिला–अलवर (राज.)–301410

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08.02.2021

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन–पत्र दिनांकः 03.11.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी कार्यालय से ग्राम–घाटडा, तहसील–राजगढ स्थित प्रश्नगत भूमि के संबंध में विचाराधीन प्रकरण पत्रावली अंतर्गत जिला कलक्टर, अलवर कार्यालय को प्रस्तुत प्रा0पत्र में जिला कार्यालय द्वारा जारी पत्र सं. 2226 दिनांकः 01.04.2019 व अन्य पत्र सं. 641 दिनांकः 09.04.2019 के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्यवाही बाबत बिन्दुवार सूचना की वांछा की गई।
5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आवेदक को आवेदन–पत्र दिनांकः 03.11.2020 में वांछित कोई सूचना नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस के माध्यम से तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्रांकः प्रथम अपील/सू.अ./2021/79–80 दिनांकः 01.02.2021 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, को अभिलेख पर लिया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में दिनांकः 08.02.2021 को उपस्थित होकर इस आशय का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया कि ''उनके द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी राजगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांकः 03.11.20, कलक्ट्रेट, अलवर के रिसीट शाखा कमरा नं.13 के रिसीट क्रमांकः 2226 दिनांकः 01.04.19 के माध्यम से सतर्कता शाखा को भिजवाया गया, सतर्कता शाखा द्वारा मेरी शिकायत पत्र सं. सतर्कता/पीजीओ/624/19/641 दिनांकः 09.04.19 के माध्यम से एस.डी.एम.राजगढ को कार्यवाही के लिए भेजी गई है, लोक सूचना अधिकारी से पूर्ण सूचना दिलावें।''

8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस एवं अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों व प्रा0पत्र दिनांकः 08.02.21 में पेश किए गए अभिकथनों पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 03.11.2020 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का विनिश्चय नहीं किया गया, अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने पर सूचित किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है।
9. प्रत्यर्थी द्वारा जवाब नोटिस दिनांकः 01.02.21 के माध्यम से प्रश्नगत पत्र सं. 2226 दिनांकः 01.04.2019 उनके कार्यालय अभिलेख के मुताबिक प्राप्त होना नहीं पाया गया, अकित किया है किन्तु साथ ही आवेदन में उल्लेखित पत्र सं. 641 दिनांकः 09.04.19 के क्रम में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रत्यर्थी को चाहिए था कि वो पत्र सं. 2226 दिनांकः 01.04.2019 के साथ पत्र सं. 641 दिनांकः 09.04.19 के क्रम में रिकॉर्ड का परीक्षण कर आवेदक को सूचित करते।
10. उक्त आलोक में प्रथम अपील आवेदन के बिन्दु सं.1 व 2 के क्रम में स्वीकार की जाती है। बिन्दु सं.3 के क्रम में प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/जानकारी उचित है।
11. प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ को निर्देशित किया जाता है कि वो उनके कार्यालय अभिलेख का पूर्ण परीक्षण कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांकः 03.11.2020 के बिन्दु सं.1 व 2 में वांछित पूर्ण अभिलेखीय सूचना (जिला कलक्टर, अलवर के पत्र सं. सतर्कता/पीजीओ/624/19/641 दिनांकः 09.04.19 के क्रम में) आवेदक को इस निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित कर पंजीकृत–पत्र के माध्यम से निःशुल्क ही प्रेषित करें। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर अतित्वरित विनिश्चय कर सूचित करें।
12. आज दिनांकः 08.02.2021 को निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। .
14. निर्णय घोषित ।

8/2/21

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)